

अज अदालत सहायक कलक्टर, उच्चैन (भरतपुर)

मुकेश कुमार बनाम घमण्डी वगै०

किस्म मुकदमा वाद पत्र धारा 88,89 आर.टी.ए. मु०नं०...1.2.....सन् 2026

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.05.2026	<p>वादी/वादीगण के अभिभाषक ने यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 11.06.2026 को पेश हो।</p> <p>19/05/26 कार्य यह पत्रावली पार्सी/वादी के पत्र पर पेश हुई। कार्यवाही में उक्त पत्र प्रकरण को खिंचे करने बाबत पेश किया शिरो कि है। वादी को सुना गया। पत्र पत्र खिंचे का इशारेकन किया गया। वादी के पत्र पत्र पर उक्त प्रकरण को खिंचे किसे बाकि की अनुमति दी जारी है। पत्रावली के की जा रही कार्यवाही इसी तद पर होप की जारी है। पत्रावली किसे सुकार हो नखर से कर होकर अखिर उकर हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)</p>	<p>मुकेश कुमार महानगर DPS 28/05/26</p>